न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 263–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–7–12 पारित द्वारा कलेक्टर, डिंडोरी प्रकरण क्रमांक 1/अ–6/11–123 एवं आदेश दिनांक 30–11–11 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, डिंडोरी प्रकरण क्रमांक 12/अ–6/10–11

1– आदित्य प्रकाश धुर्वे नाबालिग
पिता श्री ओमप्रकाश धुर्वे

2– अभिशेक प्रकाश धुर्वे नाबालिग
पिता श्री ओमप्रकाश धुर्वे
निवासीगण सुक्खार तहसील व जिला डिण्डोरी म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती बिन्जोबाई जोजे प्रीतम सिंह (मृत) वारिसान
    1– केकईबाई वनवासी पुत्री प्रीतम वनमासी
    निवासी सुक्खार डिण्डोरी जिला डिण्डोरी म.प्र.

2– लालबहादुर वनवासी आत्मज बुद्धूलाल बनवासी
निवासी पुरानी डिण्डोरी
जिला डिण्डोरी म.प्र. ——— अनावेदकगण

श्री के. के. द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदकगण ।

आदेश

(आज दिनांक [illegible] को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, डिंडोरी के प्रकरण क्रमांक 1/अ–6/11–123 में पारित आदेश दिनांक 30–11–11 एवं अपर कलेक्टर, डिंडोरी के प्रकरण क्रमांक 12/अ–6/10–11 में पारित आदेश दिनांक 30–11–11 के विरूद्ध संयुक्त रूप से म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ हुआ है कलेक्टर ने आदेश दिनांक 30–11–11 में यह पाया है कि विवादित भूमि का पट्टा अनावेदक मृतक विन्जोबाई के पिता को विधि अनुसार पट्टा जारी नहीं होने से उसके वारिसानो को उक्त भूमि में कोई विधिपूर्ण अधिकार अर्जित नहीं होते । उन्होंने यह भी पाया है वे प्रश्नाधीन भूमि अभिलेखों में विक्रय के समय अहस्तांतरणीय थी अतः ऐसेसी भूमि का हस्तातरण विधि अनुसार नहीं किया जा सकता और उक्त आधार पर उन्होंने आवदकों एवं अन्य के पक्ष में अनावेदक क्र. 1 मृतक विन्जोबाई द्वारा किए गए विक्रयपत्र के आधार पर हुए नामांतरणों को निरस्त करते हुए तहसीलदार को यह निर्देश दिए हैं कि वे पटवारी अभिलेखों की पुनः जांच कर यह देख लें कि पट्टेदार खज्जू पिता कुंवरमन को यदि न्यायालय द्वारा विधिवत पट्टा जारी नहीं हुआ है, पटवारी अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टि की गई है तो ऐसी प्रविष्टि को दुरस्त कर खज्जू पिता कुंवरमन तथा उसके वारिसान के स्थान पर भूमि शासन हित में दर्ज करें । जहां तक प्रकरण में खज्जू को पट्टा जारी किए जाने का प्रश्न है कलेक्टर का आदेश विरोधाभाषी है क्योंकि एक ओर उन्होंने यह माना कि कोई पटटा खज्जू को जारी नहीं हुआ वहीं दूसरी ओर उन्होंने पुनः विधिवत पट्टा जारी होने के संबंध में जाच के आदेश तहसीलदार को दिए हैं । जब तक इस बिंदु का निराकरण नहीं हो जाता कि खज्जू को पट्टा जारी हुआ है या नही तब तक पट्टे के फर्जी होने के संबंध निष्कर्ष निकालना त्रुटिपूर्ण है । यद्यपि इस संबंध में आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ग्राम सुबखार की वर्ष 1992–93 की संशोधन पंजी को प्रमाणित प्रति पेश की गई है । जिसमें क्रमांक 55 पर प्रश्नाधीन भूमि खज्जू–कुवरभान (कोल) को भूमिस्वामी हक्क पद दर्ज करने के आदेश दिनांक 12–7–94 को दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त प्रकरण मे जो स्थिति आई है उसके अनुसार दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति के प्रतीत होते हैं किंतु इस संबंध अभिलेख पर साक्ष्य होना आवश्यक है । यदि दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के हैं तब संहिता की धारा 165 के प्रभावी होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । विक्रय की गई भूमि के संबंध में यह पाया गया है हस्तातरण शब्द हटाकर विक्रय कराया गया है जबकि अभिलेख में जो खसरे की प्रतियां लगी हैं उनमें हस्तांतरण शब्द अंकित नहीं है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि

सम्पूर्ण प्रकरण का विधिवत अवलोकन नहीं किया गया । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जांच होना आवश्यक है ।

परिणामतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाते हैं एवं उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में पुनः जांच कराकर विधिवत निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है । निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर